न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 97 / 2024

दिनांकः— 07.08.2024

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. गंगासहाय पुत्र पितराम मीना
2. रामस्वरूप पुत्र नत्थू मीना
3. सियाराम पुत्र नत्थू मीना
   निवासीयान खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. प्रकाशी पुत्री नत्थू पत्नि भगवानसहाय निवासी शंकरपुर तहसील बालघाट जिला करौली।
5. बरफी पुत्री नत्थू पत्नि ख्यालीराम निवासी मोहलाई तहसील सिकराय जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. नरहरी पुत्र रामरतन मीना
2. श्यामलाल पुत्र रामरतन मीना
   निवासीयान खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय

दिनांक 03.06.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडी की आराजी ख0न0 2931 / 0.85 है0 वादी 1 ता 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, जो उनको बुजुर्गो से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबध कभी नही रहा है, नाही आज है। प्रतिवादीगण लट्ठ वाले आदमी है, जो वादीगण के हिस्से व कब्जे की आराजी को छीनना चाहते है तथा काश्त करने मे रूकावट पैदा करते रहते है।

बांका दिनांक 21.7.24 को वादीगण अपने कब्जे व खातेदारी की आराजीयात मे खडी फसल की देखभाल कर रहे थे कि अचानक प्रतिवादीण हाथो मे लाठीडण्डा लेकर आराजी पर आ गये और मॉ बहन की गालिया देकर मारने पर आमदा हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि तुम इस खेत की तरफ मत आना हम इस आरजी पर कब्ज करेगे तथा फसल को हम की काटेगे, अगर कोई सामने आया तो हम उसे जिन्दा नही छोडेगे। वादीगण के धमकी देकर खेत से भाग दिया इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरजाया जाकर प्रतिवादीगण के पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त [illegible] ख0न0 2931 रकवा 0.85 है0 ग्राम खेडी मे वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज कराई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

लेकिन दिनांक 03.06.2025 को प्रतिवादीगण व उनके वकील को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीगण की वादपत्र मे एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि आराजी ख0न0 2931/0.85 है0 वादी 1 ता 5 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है, जो उनको बुजुर्गो से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबध कभी नही रहा है, नाही आज है। प्रतिवादीगण लट्ठ वाले आदमी है, जो वादीगण के हिस्से व कब्जे की आराजी को छीनना चाहते है तथा काश्त करने मे रूकावट पैदा करते रहते है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरजाया जाकर प्रतिवादीगण के पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आरजी ख0न0 2931 रकवा 0.85 है0 ग्राम खेडी मे वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम ग्राम खेडी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे ख0न0 2931 है0 मे वादीगण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही होने से तथा नियत तिथ को अनुपस्थित न्यायालय रहने से एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से व प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थिति दर्ज करवाने के बावजूद पत्रावली मे जबाब पेश नही किये जाने से वादीगण का दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम खेडी की आराजी ख0न0 2931/0.85 है0 मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:06:37 IST
Reason: SelfAttested